CODE NO.

Not to be filled by the Candidate

(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर / टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में हीं लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. फ्लेप पर **"उत्तर के माध्यम"** के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिन्हित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी–फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

* * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of **"Medium of Answer"** on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोटः समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

Question No.1 **[2 Marks]**

A person, who creates resistance in execution of a decree, what remedies are available to decree holder against such person?

प्रश्न संख्या 1

एक व्यक्ति, जो डिक्री के निष्पादन में अवरोध उत्पन्न करता है, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध डिक्रीदार को क्या उपचार उपलब्ध हैं ?

Question No.2 **[2 Marks]**

Explain the circumstances, in which subsequent pleading (rejoinder) may be filed. Is there any limitation provided in law for filing subsequent pleading?

प्रश्न संख्या 2

उन परिस्थितियों को स्पष्ट करें जिनमें पश्चात्वर्ती अभिवचन (जवाब–उल–जवाब) प्रस्तुत किये जा सकते हैं। क्या पश्चात्वर्ती अभिवचनों को प्रस्तुत करने हेतु विधि में कोई परिसीमा प्रावधानित की गई है?

Question No.3 **[2 Marks]**

Under the provisions of Specific Relief Act, 1963, what remedies are available to a person dispossessed from the immovable property, Explain.

प्रश्न संख्या 3

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत, स्थावर सम्पत्ति से बेकब्जा किये गये व्यक्ति को क्या उपचार उपलब्ध हैं, स्पष्ट कीजिये।

Question No.4 **[3 Marks]**

Describe the pre-requisites for filing suit against the municipality or its officers under the Rajasthan Municipality Act, 2009.

प्रश्न संख्या 4

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत नगर पालिका अथवा उसके अधिकारियों के विरूद्ध वाद संस्थित करने हेतु पूर्व–अपेक्षाएं वर्णित कीजिये।

Question No.5 **[3 Marks]**

Explain the prohibitions imposed on Civil Courts under section 305 of the Rajasthan Municipality Act, 2009.

प्रश्न संख्या 5

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 305 के अन्तर्गत सिविल न्यायालयों पर अधिरोपित वर्जनाओं को स्पष्ट कीजिये।

Question No.6 **[3 Marks]**

Identify the kind of following easement:

a. A right of way annexed to "A's house over "B's land.

b. A right annexed to "A's house to prevent "B" from building on his own land.

c. A right annexed to "B's house to receive light by the windows without obstructions by his neighbor "A".

प्रश्न संख्या 6

निम्नलिखित सुखाचार के प्रकार को बताइये :

अ. B की भूमि पर A के गृह से संलग्न मार्गाधिकार।

ब. B को उसकी भूमि पर निर्माण करने से रोकने के लिये A के गृह से संलग्न एक अधिकार।

स. पड़ौसी A द्वारा बाधा डाले बिना खिड़कियों से प्रकाश प्राप्त करने का B के गृह से संलग्न एक अधिकार।

Question No.7 **[3 Marks]**

Hindu male "A", to enter into marriage with a Hindu female "B" on 10.03.2017. "C", a Christian lady, files a suit for permanent injunction to restrain "A" from said marriage, on the ground that "A" had already married with "C" on 22.08.2016 in a temple as per the Hindu rituals. As she is a legally wedded so "A" has no right to marry again.

Whether, "C" is entitled to get injunction? Give answer applying relevant provisions of Hindu Marriage Act, 1955.

प्रश्न संख्या 7

एक हिन्दू पुरूष "A", एक हिन्दू महिला "B" के साथ दिनांक 10.03.2017 को विवाह करने वाला है। "C" एक ईसाई महिला, "A" को उक्त विवाह करने से रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का वाद इस आधार पर प्रस्तुत करती है कि "A" पूर्व में ही दिनांक 22.08.2016 को मन्दिर में हिन्दू रीति रिवाजों से "C" के साथ विवाह कर चुका है। चूंकि, वह वैध विवाहिता है, अतः "A" को पुनः विवाह करने का अधिकार नहीं है।

क्या "C" व्यादेश प्राप्ति की अधिकारिणी है ? हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के सुसंगत प्रावधानों को प्रयुक्त करते हुए उत्तर दीजिये।

Question No.8 **[4 Marks]**

What is "Privileged Communication" under Indian Evidence Act? Describe its kinds, in brief.